न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 68/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
रतनाराम पुत्र स्व0 बरसींगाराम जाति विश्नोई निवासी डाबर तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1– किशनाराम पुत्र खेराजराम विश्नोई निवासी डाबर तहसील लोहावट, जिला जोधपुर 2– हरमलराम पुत्र खेराजराम विश्नोई निवासी डाबर तहसील लोहावट, जिला जोधपुर 3– उपखण्ड अधिकारी फलोदी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी फलोदी राजस्व अपील संख्या 32/2011 अनवान किशनाराम बनाम बरसींगाराम व अन्य मे दिनांक 22–3–2016 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री के0के0भाटी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 20–5–2019
29-5-2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लोहावट विशनावास के खसरा नंबरान 545, 547, 580, 583, 658, 659, 704, 705 कुल 8 खसरान की कमशः 9.15 बीघा, 8.17 बीघा, 28.12 बीघा, 36.15 बीघा, 27.05 बीघा, 22.0बीघा, 18.04बीघा एवं 20.03 बीघा तथा खसरा नंबर 544 व 546 रकबा 0.10 बिस्वा गै.मु.ढाणी के सह खातेदार खेराजराम का 1/4 हिस्सा एवं अन्य सहखातेदारान का 3/4 हिस्सा था । उक्त भूमि के सहखातेदार खेराजराम ने अपने जीवनकाल मे दिनाक 18–4–64 को अपने हिस्से की 43 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध मे एक "भाई बंटवाडे की लिखत" राशि 3/– के स्टाम्प पर लिखी तत्पश्चात उक्त भूमि के सहखातेदार खेराजराम के फोत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी भूमि बाबत नामांतरकरण संख्या 1298 सरपंच ग्राम पंचायत लोहावट विशनावास द्वारा दिनांक 10–11–82 को स्वीकृत किया गया ।

उक्त म्युटेशन संख्या 1298 के विरूद्ध वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 किशनाराम पुत्र खेराजराम विश्नोई ने उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष एक अपील संख्या 26/91 प्रस्तुत की जिसमे उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने अपने निर्णय दिनांक 19–11–96 के द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत लोहावट बी.बी. के आदेश को निरस्त कर पुनः मौका जांच कर संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 19–11–96 के विरूद्ध वर्तमान अपीलांट रतनाराम के पिता स्व0 बरसिंगाराम पुत्र खेराजराम ने न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 54/2011 प्रस्तुत की जिसमे

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर ने बाद सुनवाई के अपने निर्णय दिनांक 19–9–2011 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी फलोदी के निर्णय दिनांक 19–11–96 को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी फलोदी को दोनो पक्षकारो को विधिवत नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, मयाद बिन्दु को निर्णित करते हुए नये सिरे से पुनः आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया । जिसके क्रम मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने प्रकरण संख्या 32/2011 दर्ज कर बाद पक्षकारान की सुनवाई के अपने निर्णय दिनांक 22–3–16 के द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1298 ग्राम लोहावट विशनावास को निरस्त करते हुए स्व0 खेराजराम के हिस्से की भूमि का विरासत नामांतरकरण हिस्सा खोलते हुए स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार लोहावट को आदेशित किया । उपपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा प्रकरण संख्या 32/2011 मे पारित किये गये निर्णय दिनांक 22–3–2016 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के सहखातेदार खेराजराम के दो पत्नियां थी पहली पत्नी का नाम चुन्नीदेवी था तथा पहली पत्नी के फोत होने पर दूसरी नाते लाई पत्नी का नाम रूकमणी था तथा कथन किया कि पहली पत्नी चुन्नीदेवी से एक पुत्र बरसिंगाराम हुआ जो अपीलांट रतनाराम का पिता था तथा नाते लाई दूसरी पत्नी से दो पुत्र हुए जो वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 किशनाराम व हरमलराम हुए ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के सहखातेदार ने अपने जीवनकाल मे ही अपने हिस्से की भूमि बाबत बंटवाडा अपने पुत्रो मे कर दिया था जिसमे पहली पत्नी से हुए बरसिंगाराम का 1/2 हिस्सा तथा नाते लाई दूसरी पत्नी से पैदा हुए दो पुत्र किशनाराम व हरमलराम का 1/2 हिस्सा पर कब्जा करवा दिया था तथा उक्त बंटवाडा के आधार पर म्युटेशन संख्या 1298 विधिवत स्वीकृत हुआ था तथा उक्त बंटवाडा विलेख की जानकारी वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को प्रारंभ से ही थी क्योंकि बंटवाडा की लिखत जिस 3/– के स्टाम्प पर की गई थी वह स्टाम्प रेस्पो0 हरमलराम व किशनाराम के हस्ते ही खरीद किया गया था तथा उक्त बंटवाडा की लिखत वर्ष 1964 की थी परंतु उक्त म्युटेशन संख्या 1298 जो कि वर्ष 1982 मे स्वीकृत हुआ था उसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी फलोंदी मे अपील दिनांक 12–9–91 को पेश की जिसके अपील संख्या 26/91 पडे उक्त अपील लगभग 10 वर्ष के विलंब से पेश हुई तथा उक्त अपील के साथ जो धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया गया था उसमे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1298 की जानकारी दिनांक 13–8–91 को पटवारी हल्का के कहने पर होना बताया जबकि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने अपीलाधीन निर्णय मे प्रथम जानकारी दिनांक 14–8–91 का उल्लेख करते हुए अपील को समय सीमा मे मानते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी मे धर्मपत्नी ही आयेगी तथा कथन किया कि वर्तमान मामलें मे खेराजराम की पहली पत्नी श्रीमती चुन्नीदेवी थी तथा प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात नाते लाई गई दूसरी पत्नी रूकमणी दोनो का मृतक खेराजराम के खातेदारी की भूमि मे आधा आधा हिस्सा विधिवत रूप से हुआ तथा कथन किया कि यह नही देखा जायेगा कि कौनसी पत्नी के कितने पुत्र है परंतु इस तथ्य की ओर ध्यान दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे म्युटेशन संख्या 1298 को निरस्त करने तथा मृतक खातेदार के तीनो पुत्रो का बराबर का हिस्सा मानते हुए म्युटेशन स्वीकृत करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए न्यायालय का ध्यान मूल नामांतरकण संख्या 1298 ग्राम लोहावट विशनावास की ओर दिलाते हुए कथन किया कि उक्त म्युटेशन सहखातेदार खेराजराम के फोत होने पर जायंदा पुत्रो के नाम दायर कर स्वीकृत हुआ है अथार्त उक्त म्युटेशन फोतेदगी का था तथा कथन किया कि फोतेदगी म्युटेशन मे हिस्सा नही खोला जा सकता है बल्कि तीनो पुत्रो के नाम दर्ज किये जा सकते थे इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन त्रुटिपूर्ण स्वीकृत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट जिस बंटवाडे दस्तावेज के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत करवाना चाहते है जबकि विधिवत बंटवाडे का म्युटेशन केवल पंजीकृत बंटवाडे के दस्तावेज के आधार पर, कोर्ट की डिक्री के जरिये या धारा 53 आर.टी.एक्ट सहखातेदारो की सहमति से तहसीलदार द्वारा ही स्वीकृत किया जा सकता है जबकि वर्तमान मामले मे ऐसा नही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपील को अंदर मयाद मानने के अधीनस्थ न्यायालय के विवेचन को सही बताते हुए कथन किया कि लिमिटेशन एक्ट मे आदेश की नकल के आवेदन करने एवं आदेश की नकल मिलने मे जो समय लगा, उक्त अवधि को भी मयाद मे शामिल करते हुए अपील के मयाद की गणना की जायेगी । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि वर्तमान मामले मे रेस्पो0 को अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1298 की प्रथम बार जानकारी दिनांक 13–8–91 को होने का कथन करते हुए उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 12–9–1991 को प्रस्तुत की गई थी, जो अंदर मयाद थी तथा वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि जब प्रकरण गुणावगुण पर प्रबल हो तो मयाद के बिन्दु पर नर्म रूख रखते हुए अपील को अंदर मयाद सुमार कर लेनी चाहिये इसलिए अपीलांट अधिवक्ता की मयाद के बिन्दु पर प्रकट आपत्ति को खारीज करने का निवेदन किया । रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन मे 2018 (1) आर.आर.टी. पेज 601, 2017(2) आर.आर.टी.1104 की निर्णय नजीरे तथा इण्डियन सक्सेशन एक्ट की धारा 10 Distribution of Property among heirs in class 1 of schedule तथा मयाद अधिनियम की धारा 12 जिसमे Exclusion of time legal proceedings के प्रावधान

दिये गये है, प्रस्तुत करते हुए अंत मे वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–3–16 को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट जिस बंटवाडे की लिखत के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत करवाना चाहता है उक्त बंटवाडे का दस्तावेज कोई पंजीबद्ध दस्तावेज नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार खेराजराम के तीनो पुत्रो वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष मे बराबर हिस्से 1/3 – 1/3 हिस्सा दर्ज करने का तथा मयाद के संदर्भ मे जो अपील म्युटेशन की जानकारी की दिनांक एवं अपील प्रस्तुतीकरण की दिनांक अनुसार समयसीमा मे मानते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होना बताया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं म्युटेशन संख्या 1298 तथा अपीलाधीन निर्णय तथा पक्षकारान के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो आदि का भी अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर द्वारा द्वितीय अपील संख्या 54/2011 मे पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 19–9–2011 मे दिये गये निर्देशो के क्रम मे बाद विधिवत सुनवाई के मयाद बिन्दु को निर्णित करते हुए अपील अंदर सुमार मानते हुए म्युटेशन संख्या 1298 को निरस्त कर मृतक खातेदार खेराजराम के तीनो पुत्रो वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष मे 1/3 – 1/3 हिस्सा दर्ज करने तथा यदि अपीलांट एवं रेस्पो0 द्वारा कोई भूमि विक्रय की गई है तो उपरोक्त हिस्से अनुसार अपीलांट एव रेस्पो0 के साथ क्रेता का हिस्सा भी राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के निर्देश तहसीलदार लोहावट को पारित किये है, जो प्रथमदृष्ट्यिां समर्थन योग्य प्रतीत होता है ।

"जहां तक अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1298 जो दिनांक 10–11–82 को स्वीकृत हुआ था, जिसकी रेस्पो0 को प्रथम बार जानकारी दिनांक 13–8–91 को होने पर उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष जो प्रथम अपील दिनांक 12–9–91 को पेश की, जिसके साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे भी प्रथम जानकारी की दिनांक 13–8–91 को होना तथा पटवारी हल्का द्वारा नकल दिनांक 14–8–91 की दी जाने का उल्लेख है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे दिनांक 13–8–91 की बजाय प्रथम बार जानकारी दिनांक 14–8–91 को होने का उल्लेख करते हुए अपील को अंदर मयाद माना है, जो गलत है ।"इस संबंध मे वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे फार्म नंबर 3 के सलंग्न राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 78 – अपीलो के लिए परिसीमा के बिन्दु संख्या (क) की छायाप्रति कोड करते हुए पेश की है जिसमे इस प्रकार उल्लेख किया गया है –"जिस आदेश पर आपत्ति की जाती है, उसकी (.....) तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात कलेक्टर या भू अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी को" समाप्ति के पश्चात कोई अपील नही होगी । अथार्त अपील की समय सीमा 30 दिन है। उक्त अनुसार वर्तमान मामले मे यदि गणना करे तो अपीलांट को जानकारी 13–8–91

को होने से उसी दिन से मयाद की गणना प्रारंभ हो जायेगी परंतु नकल के आवेदन तथा नकल मिलने मे लगने वाला समय उक्त 30 दिन मे जोडा जायेगा ।

रेस्पो0 ने आवेदन किया 13–8–91 को तथा नकल मिली 14–8–91 को तो 1 दिन का परिलाभ देते हुए अपील पेश करने मे मिलेगा, अपील 12–9–91 को प्रस्तुत हुई है ऐसे मे यह अपील 30वे दिन प्रस्तुत हो गई थी इसलिए मयाद के बिन्दु पर अपील अंदर मयाद मानने का विवेचन अधिनस्थ न्यायालय का सही था ।

इसके अलावा अपीलांट जिस बंटवाडे की लिखत के दस्तावेज को सही होना तथा उसके अनुसार स्वीकृत हुए म्युटेशन संख्या 1298 को यथावत रखने का निवेदन कर रहे है इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपीलाधीन भूमि के सहखोदार खेराजराम के फोत होने पर उसके 3 बेटो के नाम विरासत का नामांतरकरण संख्या 1298 स्वीकृत किया गया था जिसमे वर्तमान अपीलांट के पिता बरसिंगाराम अकेले का 1/8 हिस्सा तथा अन्य दो पुत्रो वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 किशनाराम व हरमलराम का 1/8 हिस्सा दर्ज किया, जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची मे पुत्र प्रथम श्रेणी के वारिसान है ऐसे मे तीनो पुत्रो का बराबर हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 1298 को निरस्त करने बाबत पारित निर्णय समर्थन योग्य होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है । अपीलांट यदि मृतक खातेदार खेराजराम द्वारा दिनांक 18–4–64 की बंटवाडा लिखत के आधार पर अपीलाधीन भूमि मे अपना हक होना मानता है तो सक्षम न्यायालय मे नियमित वाद पेश कर बंटवाडे की लिखत अनुसार अपना हक अधिकार घोषित करवाने के लिए स्वतंत्र है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–3–16 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20–5–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर